



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

18 आश्विन, 1947 (श०)

संख्या - 467 राँची, शुक्रवार,

10 अक्टूबर, 2025 (ई०)

पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग

अधिसूचना

10 अक्टूबर, 2025

आदेश सं०- क्री०नि०-06/आयोजन-01/2025(खण्ड संचिका - I)/ 135--दिनांक 24 से 26 अक्टूबर, 2025 तक राँची में आयोजित होने वाले "4th SAAF, Senior Athletic Championship, 2025" के आयोजन में सभी संबंधित विभागों के सहयोग एवं Coordination से आयोजन को सफल बनाने हेतु एक उच्चस्तरीय आयोजन समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

1.	विकास आयुक्त, झारखण्ड।	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड।	सदस्य
3.	प्रधान सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड।	सदस्य
4.	पुलिस महानिदेशक (HoPF) झारखण्ड।	सचिव

5.	सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड।	सदस्य
6.	सचिव, पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।	सदस्य सचिव
7.	पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड अग्निशमन सेवा, राँची।	सदस्य
8.	उपायुक्त, राँची।	सदस्य
9.	नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची।	सदस्य
10	वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची।	सदस्य
11	प्रबंध निदेशक, झारक्राफ्ट, राँची	सदस्य
12	निदेशक, खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची।	सदस्य
13	निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, झारखण्ड, राँची।	सदस्य
14	निदेशक, बिरसा मुण्डा एयरपोर्ट (AAI) राँची।	सदस्य
15	निदेशक, संस्कृति, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची।	सदस्य
16	अपर सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड।	सदस्य
17	पुलिस अधीक्षक(यातायात), राँची	सदस्य
18	अध्यक्ष, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया।	सदस्य
19	महासचिव, झारखण्ड एथलेटिक्स एसोसिएशन।	सदस्य

2. उपर्युक्त आयोजन समिति "4th SAAF, Senior Athletic Championship, 2025" के आयोजन की तैयारी से संबंधित सभी पहलुओं पर आवश्यक कार्रवाई कर सकेंगी ।
3. यह समिति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से "4th SAAF, Senior Athletic Championship, 2025" के आयोजन एवं आयोजन के पश्चात् इससे संबंधित सभी कार्य पूर्ण होने तक कार्यरत रहेगी ।
4. प्रस्ताव एवं आयोजन समिति की संरचना पर माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त है ।
5. यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से लागू होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,
सरकार के सचिव ।
